...यालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

....../74/18. तारीख रजू 5-6-18

सद्दाम बनाम तहसीलदार

...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]/06/18	वकील वादी उपस्थित। यह दावा वादी के वकील ने पेश किया। दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली दिनांक [illegible]/6/18 को पेश हो। [signature] SDO	485 5-6-18
[illegible]/6/18	पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पैरोकार तहसील उप० वकील वादी व पैरोकार तहसील की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस [illegible] किया गया। दावा वादी डिक्री जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल हो। सुनाया। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/ 72/18

बउनवान

1. सद्दाम हुसैन पुत्र श्री पातलिया जाति मेव निवासी बायडा तहसील कठूमर जिला अलवर

—— वादी

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर

प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री गिरधारीलाल :– अधिवक्ता वादी

पैराकार सरकार – प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.06.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 231, 232, 237 किता 3 रकवा 0.94 हे. का 1/27 हिस्सा खसरा नम्बर 229, 230 किता 2 रकवा 0.33 हे. का 1/8 हिस्सा 28, 253 किता 2 रकवा 1.54 हे. का 1/9 हिस्सा खसरा नम्बर 318 का 1/8 हिस्सा खसरा नम्बर 105,114,116,248,321,323 किता 6 रकवा 2.19 हे. का 1/9 हिस्सा वाके ग्राम बायडा तहसील कठूमर में स्थित है जो वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी अपने हिस्से पर काविज रहकर काश्त करता है। उपरोक्त विवादित आराजी वादी के पिता पातलिया मेव निवासी बायडा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। पातलिया के फौत होने पर उसकी विरासत का इन्तकाल संख्या 207 वाके ग्राम बायडा उसके वारिसान कासम, फकरू, हारून, साहुन, उन्नस, कप्तान अली पि0 पातलिया, रहमती पत्नी पातलिया जाति मेव निवासी बायडा के नाम दर्ज हुआ है। उक्त इन्तकाल वादी को विना वुलाये विना नोटिस दिये वादी के सही नाम की जानकारी न

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

कर वादी का नाम सद्दाम हुसैन के स्थान पर कप्तान अली दर्ज कर दिया। जवकि वादी का नाम सही नाम सद्दाम हुसैन है वादी के शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र,. मूल निवास प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र: सभी दस्तावेजात में वादी का नाम सद्दाम हुसैन दर्ज है। विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम सद्दाम हुसैन के स्थान पर कप्तानअली दर्ज रहने से वादी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। जिससे वादी को विवादित आराजी पर किसान कार्ड का ऋण नहीं मिल रहा है। इस वजह से वादी विवादित आराजी वावत अपना नाम कप्तान अली के स्थान पर सद्दाम हुसैन दर्ज कराना चाहता है। वादी ने दिनांक 10.05.2018 को नाम दुरूस्ती वावत प्रतिवादी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन प्रतिवादी ने नाम दुरूस्त करने से मना कर दिया। अतः विवादित आराजी वावत वादी का नाम कप्तानअली के स्थान पर सद्दाम हुसैन दर्ज किया जावे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार हाजिर हुये। पैरोकार सरकार ने अपना जवाव पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी वावत राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम सद्दाम हुसैन दर्ज है। वादी अपने पहचान के दस्तावेजात के आधार पर अपना नाम कप्तान अली के स्थान पर सद्दाम हुसैन दर्ज कराना चाहता है नाम शुद्धिकरण से कोई राज्यहित प्रभावित नहीं होता है। नाम शुद्धिकरण करने से पैरोकार को कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। वादी की ओर से गवाह हारून व फकरू के वयान दर्ज कराये गये है।

वहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये विवादित आराजी में वादी का नाम पहचान के दस्तावेजों के आधार पर कप्तान अली के स्थान पर सद्दाम हुसैन दर्ज करने का निवेदन किया है। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजहित न होना बताते हुये वादी का नाम पहचान के दस्तावेजों के आधार पर दुरूस्त करने में आपत्ति जाहिर नहीं की है।

वादी ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2057 से 2060, 2069 से 2072 वाके ग्राम वायडा व पहचान के दस्तावेज में मा0शि0बोर्ड अजमेर की मार्कसीट, सी0 सैकण्डरी की मार्कसीट, बी ए पार्ट प्रथम की मार्कसीट, बार्ड का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, पहचान पत्र, ड्राइवरी लाइसेंस, बैंक पास वुक, परिवार राशनकार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पत्र, पोस्टल रसीद, कानूनी नोटिस की छाया प्रति पेश की है। रसीद भामाशाह पेश की हैं जिनमें वादी का नाम सद्दाम हुसैन पुत्र पातलिया अंकित है। गवाह फकरू व हारून ने वादी का नाम कप्तान अली न होकर सददाम हुसैन होना कथन किया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार सरकार की वहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी हाल में वादी का नाम कप्तानअली अंकित है लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजात में वादी का नाम सद्दाम हुसैन अंकित है ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार वादी का नाम कप्तानअली न होकर सद्दाम हुसैन है। गवाहों ने अपने वयानों में वादी का नाम कप्तान अली न होकर सद्दाम हुसैन होना कथन किया है। पैरोकार सरकार ने राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दुरूस्ती होने से कोई राज्यहित प्रभावित न होना कथन किया है। अतः हाल राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम कप्तान अली पुत्र पातलिया गलत अंकित होना प्रतीत होता है। अतः वाद वादी सावित होने से डिकी योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी घोषणात्मक डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 231, 232, 237 किता 3 रकवा 0.94 हे. का 1/27 हिस्सा खसरा नम्बर 229, 230 किता 2 रकवा 0.33 हे. के 1/8 हिस्सा 28, 253 किता 2 रकवा 1.54 हे. के 1/9 हिस्सा खसरा नम्बर 318 के 1/8 हिस्सा खसरा नम्बर 105,114,116,248,321,323 किता 6 रकवा 2.19 हे. के 1/9 हिस्सा वाके ग्राम बायडा तहसील कठूमर वावत राजस्व रेकार्ड में अंकित कप्तानअली पुत्र पातलिया का इन्द्राज कलमजन कर सद्दाम हुसैन पुत्र पातलिया जाति मेव दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 21.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/ 72 /18

बउनवान

1. सद्दाम हुसैन पुत्र श्री पातलिया जाति मेव निवासी बायडा तहसील कठूमर जिला अलवर

——— डिकीदार

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर

——— मदयून

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी घोषणात्मक डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 231, 232, 237 किता 3 रकवा 0.94 हे. का 1/27 हिस्सा खसरा नम्बर 229, 230 किता 2 रकवा 0.33 हे. के 1/8 हिस्सा 28, 253 किता 2 रकवा 1.54 हे. के 1/9 हिस्सा खसरां नम्बर 318 के 1/8 हिस्सा खसरा नम्बर 105,114,116,248,321,323 किता 6 रक़वा 2.19 हे. के 1/9 हिस्सा वाके ग्राम बायडा तहसील कठूमर वावत राजस्व रेकार्ड में अंकित कप्तानअली पुत्र पातलिया का इन्द्राज कलमजन कर सद्दाम हुसैन पुत्र पातलिया जाति मेव दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करें।

आज दिनांक 21.06.2018 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner